UPBJ010071282022

न्यायालयः– विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।
पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 विजय कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा. UP2413

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 2866/2022
विशेष सत्रवाद संख्याः– 138/2016
सरकार बनाम अनिल कुमार

13–10–2022

यह द्वितीय प्रार्थना पत्र अभियुक्त **अनिल कुमार** की ओर से सत्रवाद संख्या 138/16 मुकदमा अपराध संख्या 101/2016 अन्तर्गत धारा 138बी विद्युत अधिनियम थाना मण्डावर जिला बिजनौर में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त मुकदमे में अभियुक्त को रंजिश की बिनाह पर झूठा फंसाया गया है। वह निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त पूर्व में न्यायालय से जमानत पर था। अभियुक्त रोजगार के सिलसिले में बाहर चला गया था। न्यायालय में हाजिर नहीं आने के कारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी कर दिये गये थे। जिसपर थाना हाजा की पुलिस द्वारा अभियुक्त को पकड़कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अभियुक्त न्यायालय के आदेश दिनांकित 07–10–2022 से अन्तरिम जमानत पर था। अभियुक्त ने अपनी अन्तरिम जमानत का कोई दुरूपयोग नहीं किया है। अभियुक्त विचारण में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। उक्त आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर बल दिया गया है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा पत्रावली का सम्यक का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पूर्व से न्यायालय से जमानत पर था। अभियुक्त के न्यायालय हाजिर न होने के कारण दिनांक 07–10–2022 को थाना हाजा की पुलिस द्वारा अभियुक्त को उसके विरूद्ध जारी गैर जमानतीय वारण्ट पर पकड़कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दिनांक 07–10–2022 को आज दिनांक 13–10–2022 तक के लिए अन्तरिम जमानत पर रिहा किया गया था। अतः आज अभियुक्त द्वारा स्वयं उपस्थित होकर न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण किया गया है। अभियुक्त द्वारा अपनी अन्तरिम जमानत का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

Digitally signed by DR VIJAY KUMAR
Date: 2022.10.13 16:50:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत इस स्तर पर मामले के गुण–दोष पर कोई टीका–टिप्पणी किये बिना जमानत का पर्याप्त आधार है। तदनुसार अभियुक्त का प्रार्थना पत्र जमानत स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **अनिल कुमार** की ओर से सत्रवाद संख्या 138/16 मुकदमा अपराध संख्या 101/2016 अन्तर्गत धारा 138बी विद्युत अधिनियम थाना मण्डावर जिला बिजनौर में जमानत हेतु प्रस्तुत यह द्वितीय प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन बीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो नवीन प्रतिभू दिये जाने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

(डॉ0 विजय कुमार)

दिनांकः– 13–10–2022

विशेष न्यायाधीश, (ई0 सी0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।